संख्या-637/2024/1658/41-1-2024-07 (सा0)/2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक: 05 जुलाई. 2024

विषयः- जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपैड को पी०पी०पी० मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8219/SS/Heliport-Lucknow/44, दिनांक 31 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित किये जाने हेतु प्रकाशित आर०एफ०क्यू की ई-निविदा के सापेक्ष शार्टलिस्टेड 04 निविदाकर्ता फर्मों के मध्य निविदा कराये जाने एवं आर०एफ०पी० निविदा प्रपत्रों पर मा० मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2-अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु स्थित हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों को लीज पर विकसित कर संचालित किये जाने हेतु मा० मंत्रि परिषद द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-268/2022/आई/159173/41-1099/116/2021-165(सा0)/2021, दिनांक 25 अप्रैल, 2022 एवं पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-543/2022/4032/41-2022-196 (सा0)/2022, दिनांक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया है। इन स्थलों पर हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं का अनुभव बेहतर होगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर गतिविधियाँ बढ़ेगी, रोजगार के नये-नये अवसर सृजित होंगे और लोगों का आर्थिक उन्नयन होगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

3-उपर्युक्त के क्रम में जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु स्थित हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराय जाने हेतु दिनांक 28.06.2023 को प्रमुख सचिव, पर्यटन, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजि बैठक के क्रम में जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु स्थित हेलीपैड को पी०पी०पी० मोड प संचालित कराये जाने के लिए आर०एफ० क्यू० व फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा निविदा प्रपत्रों सार्वजनकि निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) द्वारा प्रद अनुमोदन के क्रम में पर्यटन अनुभाग, उ०प्र०शासन के पत्र संख्या-2966/4 2023/113(सा0)/2022 दिनांक 10 जुलाई, 2023 द्वारा कार्यवृत्त जारी किया गया।

4- उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन विभाग ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु स्थित हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु निविदाकर्ता (बिडर्स) को शार्टलिस्ट किये जाने हेतु आर०एफ० क्यू० की ई-निविदा दिनांक 22.08.2023 को खोली गयी। इस क्रम में पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के कार्यवृत्त संख्या-4069/41-2023-113 (सा0)/2022, दिनांक 01 सितम्बर, 2023 के माध्यम से सार्वजनकि निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) द्वारा आर०एफ०क्यू० की ई-निविदा में प्राप्त निम्न 04 रिस्पॉन्शिव निविदाकर्ता (बिडर्स) को शार्टलिस्ट करते हुए आर०एफ०पी० की ई-निविदा सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया, जो कि निम्नवत् है :-

क्र०	हेलीपैड का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	निविदाकर्ता फर्म का नाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1	जनपद लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर पार्क के सामने बना पक्का हेलीपैड एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधायें	31,549.41 sq.m	1- हेरिटेज एविऐशन प्रा०लि० (Heritage Aviation Pvt. Ltd) 2-राजस एयरो स्पोर्ट्स एवं एडवेन्चर्स प्रा०लि० (Rajas Aerosports and Adventures Pvt. Ltd) 3- शौर्य एयरोनॉटिक्स प्रा०लि० (Shaurya Aeronautics Pvt. Ltd) 4-शिरिशा प्रा०लि० टेक्नोलॉजीस (Sherisha Technologies Pvt. Ltd)
2	कपिलवस्तु हेलीपैड, बुद्धा थीम पार्क निकट सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी	2,704 sq.m	
3	जनपद प्रयागराज के यमुना ब्रिज एवं जूना अखाड़ा के बीच यमूना बैंक रोड पर स्थाई हेलीपोर्ट	11,369.77 sq.m	

5-उपर्युक्त के क्रम में सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) के अनुमोदनोपरान्त जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु विभागीय परामर्शी संस्था मेसर्स के०पी०एम०जी० द्वारा तैयार किये गये आर०एफ०पी०/डी०सी०ए० (RFP/DCA-Request for Proposal Volume-I: Instruction to Bidders, Volume-II: Draf Development Agreement and Volume-III: Draft Schedules to Developmer Agreement) को उपरोक्त 04 शॉर्टलिस्टेड निविदाकर्ता (बिडर्स) के मध्य दिनांक 04 सितम्ब 2023 को जारी किया गया। उक्त की प्री-बिड दिनांक 11 सितम्बर, 2023 को आयोजित की गय तथा निविदाकर्ताओं की पृच्छाओं को आर०एफ०पी०/डी०सी०ए० प्रपत्रों में समाहित कर लिया गया है।

6- उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में जनपद लखनऊ,प्रयागाराज एवं कपिलवस्तु स्थित हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु आर०एफ०पी० डी०सी०ए०-रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वैल्यूम-1: इन्स्ट्रक्शन टू बिडर्स, वैल्यूम-।।: ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेंट एवं वैल्यूम- ।।। ड्राफ्ट सेडयूल्स टू कन्सेशन एग्रीमेंट (RFP/DCA-Request for Proposal Volume-1: Instruction to Bidders, Volume-II: Draft Concession Agreement and Volume-III: Draft Schedules to Concession Agreement) तथा 04 शार्टलिस्टेड निविदाकर्ता (बिडर्स) यथा- 1- हेरिटेज एविऐशन प्रा० ति० (Heritage Aviation Pvt.Ltd.) 2-राजस एपरो स्पोर्टस एवं एडवेन्चर्स प्रा० लि० (Rajas Aerosports and Adventures Pvt. Ltd) 3- शौर्य एयरोनॉटिक्स प्रा०लि० (Shaurya Aeronautics Pvt Ltd.) 4- शिरिशा टेक्नोलॉजीस प्रा०लि० (Sherisha Technologies Pvt. Ltd) पर सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) के अनुमोदनोपरान्त तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-3/2018/260/83-अव0-2018-34 (अव0)/2013 दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा प्रदेश में पी०पी०पी० परियोजनाओं के संबंध में जारी "गाइडलाइन्स फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स फॉर पी०पी०पी० प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश-2016" (संशोधित गाइडलाइन-2018) के चैप्टर-3 Process flow chart for

http://shasanadesh.up.gov.in

Development of Project on PPP के पैरा 3.3 Selection of Developer के अनुसार निविदा प्रपत्रों पर मा० मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

7-अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपैड को पी०पी०पी० मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के संबंध में मा० मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 25.06.2024 को निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

(क) जनपद लखनऊ, प्रयागराज एवं कपिलवस्तु स्थित हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु आर०एफ०पी०/डी०सी०ए०-रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वैल्यूम-1: इन्स्ट्रक्शन टू बिडर्स, वैल्यूम- ।।: ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेंट एवं वैल्यूम ।।।: ड्राफ्ट सेडयूल्स टू कन्सेशन एग्रीमेंट (RFP/DCA-Request for Proposal Volume-I: Instruction to Bidders, Volume-II: Draft Concession Agreement and Volume-III: Draft Schedules to Concession Agreement) पर अनुमोदन।

(ख) उपरोक्त 04 शार्टलिस्टेड निविदाकर्ता (बिडर्स) यथा 1 हेरिटेज एविऐशन प्रा०लि० (Heritage Aviation Pvt. Ltd) 2-राजस एयरोस्पोर्ट्स एवं एडवेन्चर्स प्रा०लि० (Rajas Aerosports and Adventures Pvt. Ltd) 3-शौर्य एयरोनॉटिक्स प्रा०लि० (Shaurya Aeronautics Pvt. Ltd) 4-शिरिशा टेक्नोलॉजीस प्रा०लि० (Sherisha Technologies Pvt. Ltd) के मध्य आर०एफ०पी०/डी०सी०ए० की निविदा कराये जाने पर अनुमोदन।

8- उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया येगा :-

(1) उक्त परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा

(2) यदि प्रश्नगत स्थलों पर किसी पुलिस थाना/चौकी की स्थापना की जानी है, तो उक्त हेतु निःशुल्क भूमि की व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा करायी जायेगी।

(3) सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन सुरक्षा उपकरण/उपकरणों की समुचित एवं पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु उपकरणों पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन पर्यटन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(4) यदि प्रश्नगत स्थलों पर सुरक्षा हेतु पुलिस बल (सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा इत्यादि हेतु) की तैनाती की जाती है, तो उक्त पर होने वाले व्यय का वहन पर्यटन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(5) लखनऊ, प्रयागराज व कपिलवस्तु में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिये हेलीपैड को संचालित किये जाने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(6) नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) तथा भारतीय विमानपत्तनन प्राधिकरण (AAI) के नियमों, विनियमों, प्राविधानों तथा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) प्रश्नगत जनपदों में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपैड को पी०पी०पी० मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के संबंध में प्रचलित सुसंगत नियमों/विधिक नियमों के अधीन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(8) स्मारक समिति द्वारा मात्र सम्बन्धित स्थल को किराये के आधार पर दिया जायेगा तथा सम्पत्ति के अनुरक्षण का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जायेगा अथवा मूल अनुरक्षण पर व्यय 12 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय जोड़कर प्रतिमाह वास्तविक व्यय के आधार पर स्मारक समिति द्वारा कार्य किया जायेगा। यह अनुरक्षण की धनराशि निर्धारित किराये के अतिरिक्त होगी।

कृपया तद्नुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराकर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2-अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन।
3-अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
4-निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/गृह विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग/नियोजन विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/आवास एवं
6-शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन। निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7-वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8-उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमारश्रीवास्तव)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।